न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 355/2015
पंजीयन दिनांक 17.11.2015

(1). नोसर पत्नी परथू जाति जाट निवासी पाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). शंकरी पुत्री परथू जाति जाट निवासी पाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). गेंदु पत्री कुका जाति जाट निवासी पाल हाल मुकाम बरखेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(2). घीसू पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). शिव पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(4). प्रेम पुत्री माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(5). रतन पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(6). नारायण पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(7). सत्तु पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(8). फौजु पिता माधु जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(9). गेंदी पुत्री कुका जाति जाट निवासी पाल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(10). मांगीलाल पिता गोपी जाति जाट निवासी पाल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(11). भगवानी पिता गोपी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0) हाल मुकाम जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(12). शंकरी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी पाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(13). संतोष पत्नी रतन जाति जाट निवासी पाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(14). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 153/2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.07.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). जगदीशचन्द्र व्यास -अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). राकेशपुरी गोस्वामी-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). दिनेशचन्द्र शर्मा - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, 5 से 8
(4). निखिल दशोरा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
(5). खूमराज कुमावत- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13
(6). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 18.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा पाल तहसील चित्तौड़गढ मे स्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की पैतृक कृषि आराजीयात साबिक खाता संख्या 47 में अंकित आराजी संख्या 109, 193, 194, 198 कुल किता 4 कुल रकबा 2.66 हेक्टेयर एवं साबिक खाता संख्या 46 मे अंकित आराजी संख्या 126, 127, 139, 158, 159, 160, 195 कुल किता 7 कुल रकबा 3.28 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी मे गलत रूप से दर्ज हुई है। मूल पुरूष गोकुल जी के तीन पुत्र जवारा ,कूका, व गोपी थे । तीनो की मृत्यु हो चुकी है। मृतक जवारा के एकमात्र वारिस रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 पत्नी गेंदी बाई है। तथा मृतक गोपी के वारिस रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 मांगीलाल पुत्र व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 भगवानी पत्नी मौजूद है। मृतक कूका के तीन वारिसान रेस्पोडेन्ट वादिया संख्या 1 नन्दु पुत्री, रेस्पोडेन्गण वादीगण संख्या 2 से 8 की माता चांदीबाई मृतक पुत्री व अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पति व पिता प्रतिवादी संख्या 1 परथू मृतक पुत्र है। मृतक कूका की पत्नी व पुत्री चांदी की भी मृत्यु हो चुकी है। उक्त वर्णित पैतृक आराजीयात मृतक गोकल के समय से चली आ रही है। गोकल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कूका का 1/3 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज हुआ एवं कूका की मृत्यु के बाद उसका सम्पूर्ण हिस्सा अकेले अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के पति एवं पिता प्रतिवादी संख्या 1 परथू के नाम दर्ज रेकॉर्ड हो गया जबकि मृतक

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

कूका के दो पुत्रियां रेस्पोडेन्ट वादिया संख्या 1 व रेस्पोडेन्गण वादीगण संख्या 2 से 8 की माता चांदीबाई(मृतक) थी। रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 2 से 8 मृतक चांदीबाई के वारिसान है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के पति एवं पिता प्रतिवादी संख्या 1 परथू ने आराजी संख्या 127, 139 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये विकय पत्र एवं आराजी संख्या 126, 158, 159, 160, 195 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये दानपत्र हस्तांतरित की है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को हस्तांतरित की गयी उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 का भी 1/3 हक हिस्सा निहित है जिसकी खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2016 को लोक अदालत कैम्प मे निर्णय व डिक्री किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मृतक कूका की पुत्री साबित होना बताकर व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 की माता चांदीबाई(मृतक) को मृतक कूका की पुत्री होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होना मानते हुए, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुत्रियों का भी पुत्रो की भांति बराबर हक हिस्सा निहित होना बताकर मृतक कूका की संपत्ति में वादिया रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के पति एवं पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित होना मानकर, उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात जो प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को कमशः जरिये विकय पत्र व जरिये दानपत्र हस्तांतरित की है जिसे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितो के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होना मानकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र प्रमाणित होना बताकर तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 का वाद प्रमाणित नहीं होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को हस्तांतरित की गयी उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वांछित 1/9 हक हिस्से के बजाय 1/6 हक हिस्सा निहित होना प्रमाणित होने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पाल की आराजी संख्या 109, 193, 194, 198, कुल किता 4 रकबा 2.66 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 126, 127, 139, 158, 159, 160, 195 कुल किता 7 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर में पूर्व खातेदार परथू पिता कूका के हिस्से मे वादिया रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज किये जाने व प्रतिवादीगण को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मे दखलंदाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

ी किये जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने व वादीगण रेस्पोडेन्टगण ख्या 2 से 8 का वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री ारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07. 2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता प्राथीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 13 व 14 की ओर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित अपने हक व हिस्से को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 13 व 14 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख विकय कर दिया है । उक्त पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 13 व 14 द्वारा कयशुदा आराजीयात का नामान्तरण भी उनके पक्ष मे निर्णित हो चुका है। नामान्तरण निर्णित होने के पश्चात अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 द्वारा न्यायालय हाजा मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील जैरकार होने की जानकारी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 13 व 14 दी गयी। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार होने से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 को अपील मे पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 13 व 14 जरिये विकय विलेख सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है, जिन्हे पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आदेश । नियम 10 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 के रूप मे पक्षकार मुकदमा कायम किया जाता है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने जरिये पंजीकृत विकय-पत्र व जरिये पंजीकृत दानपत्र के आधार पर नामान्तरण स्वयं के नाम स्वीकृत करवाकर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को स्वयं के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज करवाया है जिसे स्वयं वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादपत्र मे स्वीकार किया है। उपरोक्त पंजीकृत दस्तावेजो को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अपास्त नही किया गया है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजो के समुचित अवलोकन किये बगैर निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की ओर से जवाबदावा पत्रावली मे प्रस्तुत हुआ जिसमे वादपत्र के क्षेत्राधिकार के संबंध मे एवं पंजीकृत दस्तावेजो के संबंध मे आपत्ति प्रस्तुत की हे फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार कर निर्णय व डिकी पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात जो कि पूर्व मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के पिता कूका के नाम खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के पिता की खातेदारी की उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का हक व हिस्सा निहित है , परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के पिता की मृत्यु के पश्चात गलत नामान्तरण होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं हो सका। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने स्वयं को उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात के पूर्व खातेदार कूका की पुत्री व अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 6 व 7 के पति व पिता प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है जिसके आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का उसके पिता की संपत्ति मे प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर हक हिस्सा निहित होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का वादपत्र उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया को उसके मृतक पिता की खातेदारी की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की पैतृक संपत्ति होना मानकर उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट वादिया का 1/6 हक हिस्सा निहित होना मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया की खातेदारी मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है, जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 व 7 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2015 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपीलांटगण व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात के संबंध मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने केता नोसर वशंकरी को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना-पत्र वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने 25.01.2012 को प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गयी, जिस पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की ओर से पत्रावली जवाबदावे मे नियत थी व दिनांक 23.04.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जिस पर दिनांक 21.05.2012 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व दिनांक 04.09.2012 को उक्त पत्रावली मे तनकीयात कायम की गयी। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ था, उक्त जवाबदावे मे वर्णित तथ्यों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी । साक्ष्य वादी मे विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो जाने से पत्रावली नामकायमी हेतु विचाराधीन थी। नामकायमी की कार्यवाही किये बगैर उक्त पत्रावली को लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 के विपरीत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नही होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 6 व 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 153/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 को पत्रावली मे संयोजित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 की नामकायमी की कार्यवाही पूर्ण कर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवायी जाकर पत्रावली मे कायम की गई तनकीयात दिनांक 04.09.2012 के अनुसार आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे।उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)